नि‍य.फौज.प्र.सं.: 582/2016(3645/2016) सरकार बनाम जंतु उर्फ जितेन्द्र
निर्णय दिनांक 24.03.2026

न्यायालय– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम– 01 छबडा जिला बारां राज0	
पीठासीन अधिकारी	**– संयोगिता, आर.जे.एस.**
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या	**– 582/2016**
सीआईएस नंबर	**– 3645/2016**
सीएनआर नंबर	**– RJBR070005392016**
निर्णय की तारीख 26.03.2026 (प्र.सू.रि./अपराध और पुलिस थाने का विवरण– पुलिस थाना बापचा की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **138/2016** अपराध अंतर्गत धारा **323,452,504,506 भा.दं.सं.**)	
परिवादी	**राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी**
प्रतिनिधित्व द्वारा	**श्री रवि किशोर जोनवाल**
अभियुक्त	**जंतु उर्फ जितेन्द्र पुत्र अजब सिंह निवासी चौकी थाना बापचा तहसील छबडा, जिला बारां राज.**
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री दिग्विजय सिंह विद्वान अधिवक्ता

अपराध की तारीख	25.05.2016
प्रथम सूचना कायमी की तारीख	26.05.2016
आरोप पत्र की तारीख	16.06.2016
आरोप विरचना की तारीख	09.02.2017
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	30.06.2017
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	24.03.2026
निर्णय तारीख	24.03.2026
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निल

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफ़्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	आरोपित दण्डादेश	धारा 428 द0प्र0सं0 के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि
1	जंतु उर्फ जितेन्द्र	02.06.16	03.06.16	323,452,504, 506 भा0दं0सं0	दोषमुक्त	निल	01 दिन

<u>अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची</u>

(क)अभियोजन–

साक्षी क्रम (Rank)	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी,

		चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
PW–1	कोमल ठाकरे	चक्षुदर्शी साक्षी/नक्शा मोका साक्षी
PW–2	अशोक सरकार	पुलिस बयान ताईदकर्ता/नक्शा मोका साक्षी
PW–3	प्रद्युम्मन मालव	चिकित्सकीय साक्षी
PW–4	शिवराज	चक्षुदर्शी साक्षी
PW–5	अशरफउददीन सिद्धकी	ताईदकर्ता अनुसंधान
PW–6	मानसिंह	पुलिस साक्षी
PW–7	बृजमोहन	चक्षुदर्शी साक्षी

(ख)प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो–

साक्षी क्रम (Rank)	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

(ग) न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो–

साक्षी क्रम (Rank)	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयनी प्रदर्शों की सूची

(क)अभियोजन–

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
1	P1	नक्शा मोका घटना स्थल
2	P2	चोट प्रतिवेदन आहत नेनकचंद
3	P3	पुलिस बयान गवाह शिवराज
4	P4	तहरीर रिपोर्ट
5	P5	चाक एफआईआर
6	P6	फर्द गिरफतारी अभियुक्त जितेन्द्र
7	P7	चैक लिस्ट
8	P8	नोटिस अंतर्गत धारा 41 दण्ड प्रकिया संहिता
9	P8	पुलिस बयान गवाह बृजमोहन

(ख)प्रतिरक्षा प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
निल	निल	निल

(ग)न्यायालय प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
निल	निल	निल

(घ)वस्तु प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
निल	निल	निल

निर्णय दिनांक– 24.03.2026

01– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है दिनांक 25.05.2016 को फरियादी रंजन कुमार ने उपस्थित पुलिस थाना बापचा होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 25.05.2016 को दोपहर 2 बजे के करीब वह अपने स्टर्लिंग एंड विलसन के पोरा केबिन के आफिस में बैठा हुआ था वहां पर जितेन्द्र यादव पुत्र अजब सिंह आया और उससे सरकार सिंह के बारे में पूछने लगा। जिस पर उसके द्वारा सरकार सिंह के प्लाट पर जाना बताने तथा जितेन्द्र से उसके बारे में पूछने पर जितेन्द्र ने पास पडे कुर्सी को उठाकर उसके मुंह पर मारी जो नाक और नाक के नीचे लगी जिससे खून निकल आया और बाहर खडे Supervisory C marippain के साथ भी गाली गलोच की व लात–घूसों से मारपीट की तथा स्टाफ को जान से मारने एवं कंपनी में आग लगाने की धमकी दी.....इत्यादि।

02– उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना बापचा में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 138/2016 अपराध अंतर्गत धारा 323,452,504 **भारतीय दंड संहिता** में दर्ज किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त **जंतु उर्फ जितेन्द्र** के विरूद्ध अपराध धारा 323,452,504,506 **भारतीय दंड संहिता** में आरोप पत्र इस न्यायालय के समक्ष में पेश किया गया जिस पर इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त **जंतु उर्फ जितेन्द्र** के विरूद्ध धारा 323,452,504,506 **भारतीय दंड संहिता** के अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमित फौजदारी प्रकरण के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त **जंतु उर्फ जितेन्द्र** को धारा 323,452,504,506 **भा0दं0सं0** का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन समझकर अभियुक्त ने अस्वीकार कर

अन्वीक्षा चाही।

03— दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी0ड0 1 लगायत पी ड0 7 के बयान लेखबद्ध कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 लगायत पी 8 को प्रदर्शित कराया गया।

04— बाद साक्ष्य अभियोजन अभियुक्त को धारा 313 द0प्र0सं0 के तहत परीक्षित कराया गया, जिसमें उन्होंने अपने विरूद्ध आयी अभियोजन साक्ष्य को गलत होना जाहिर किया और साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया। जिस पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

05— बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया गया ।

06— बहस के दौरान विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर कठोर दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

07— जबकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाने का निवेदन किया गया।

08— उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में विनिश्चय हेतु निम्न अवधार्य बिंदु पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है कि –

01. क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.05.2016 को समय करीब 2.00 पीएम पर स्थान स्टर्लिंग एंड विलसन कंपनी सी.टी.पी.पी. में अपराध करने की तैयारी कर अतिचार कर फरियादी रंजन कुमार को स्वेच्छा कुंदालय से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की एवं फरियादी को हाथ पैर तोडने की धमकी देते हुए इस आशय से गाली गलोच कर अपमानित किया कि वह प्रकोपित होकर लोक शांति भंग करे ?

02. यदि हां, तो अभियुक्तगण का उचित दंड क्या होगा ?

09— उपरोक्त अवधार्य बिंदु के संबंध में अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं पक्षकारान के तर्कों के आधार पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार है। हस्तगत प्रकरण फरियादी रंजन कुमार द्वारा उसके साथ हुई मारपीट बाबत प्रस्तुत तहरीर

रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 के आधार पर संस्थित किया गया है। जिससे कि उक्त रंजन कुमार प्रकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी है। उक्त रंजन कुमार को न्यायालय द्वारा बार–बार तलब किये जाने पर भी उक्त गवाह परीक्षण हेतु न्यायालय में उपस्थित होने में विफल रहा है। जिससे कि तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 के आलोक में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

10– अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पीडब्लू 1 कोमल ठाकरे, पीडब्लू 4 शिवराज तथा पीडब्लू 7 बृजमोहन को घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित करवाया गया है। पीडब्लू 1 कोमल ठाकरे द्वारा मुख्य परीक्षण के कथनों में अभियुक्त जितेन्द्र द्वारा फरियादी रंजन कुमार के साथ मारपीट करते देखने बाबत कोई कथन नही किये गये है। अपितु उसके द्वारा रंजन कुमार के बताये अनुसार घटना की ताईद की गई है। प्रतिपरीक्षण में गवाह यह स्पष्ट रूप से कथन करता है कि रंजन और जितेन्द्र के बीच कमरे में क्या हुआ इसकी उसे जानकारी नही है। उसके द्वारा रंजन और जितेन्द्र को एक दूसरे से झगडा करते हुए नही देखा गया।

11– गवाह पीडब्लू 4 शिवराज द्वारा मुख्य परीक्षण में किसी की कोई लडाई झगडा देखने अथवा पुलिस बयान प्रदर्श पी 3 दिये जाने से स्पष्ट इंकार किया गया है। उक्त गवाह अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किये जाने के उपरांत की गई जिरह में इस सुझाव से स्पष्ट इंकार करता है कि उसके सामने अभियुक्त ने रंजन कुमार के कुर्सी की मारी हो। प्रदर्श पी 1 नक्शा मोका पर हस्ताक्षर पुलिस के कहने पर करना बताता है।

12– गवाह पीडब्लू 7 बृजमोहन द्वारा मुख्य परीक्षण में घटना की जानकारी होने से अथवा स्वयं द्वारा कुछ देखे या सुने जाने से स्पष्ट इंकार किया गया है। उक्त गवाह पक्षद्रोही होकर पुलिस बयान प्रदर्श पी 8 पुलिस को देने से इंकार करता है। नक्शा मोका प्रदर्श पी 1 पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित करता है किंतु पुलिस ने उसके सामने कोई नक्शा मोका बनाया हो तो इससे स्पष्ट इंकार करता है।

13– इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये उपरोक्त चक्षुदर्शी साक्षीगण ने अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी ताईद नही की है। गवाह शिवराज तथा बृजमोहन पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित होकर घटना की जानकारी से ही स्पष्ट इंकार करते है तथा गवाह कोमल ठाकरे की साक्ष्य केवल मात्र इस हद तक सुसंगत है कि उसके द्वारा फरियादी के आफिस से जंतु को बाहर निकलते हुए

देखा गया था एवं तुरंत उसी वक्त उसके द्वारा फरियादी की नाक से खून निकलते देखा गया था। इस प्रकार उक्त गवाह भी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी न होकर घटना के संभवतः पारिणामिक तथ्यों का साक्षी है जो कि स्वयं में घटना को प्रमाणित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य नही है। उक्त परिस्थितियों में अन्य प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य का अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

14— गवाह पीडब्लू 2 अशोक कुमार द्वारा फोन पर उसे घटना की जानकारी प्राप्त होना तथा स्वयं के द्वारा कुछ न देखा जाना बताया गया है। प्रतिपरीक्षण में भी गवाह द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसने मुलजिम को मारपीट करते हुए नही देखा।

15— अनुसंधान अधिकारी अशरफउद्दीन पीडब्लू 5 द्वारा मुख्य परीक्षण में समस्त अनुसंधान प्रक्रिया की ताईद करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने की पुष्टि करता है। प्रतिपरीक्षण में गवाह जाहिर करता है कि वह यह नही कह सकता कि जंतु फरियादी की कंपनी में ठेकेदारी के बकाया पेसे लेने गया हो लेकिन जंतु ने पूरी तैयारी के साथ जाकर फरियादी के साथ मारपीट की थी। तैयारी से झगडा करने बाबत कोई हथियार जब्त नही किया गया।

16— उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य से जाहिर आता है कि गवाह अशोक कुमार स्वयं फरियादी की तहरीर रिपोर्ट अनुसार मोके पर मोजूद नही था जिससे कि उक्त गवाह की साक्ष्य अभियोजन कहानी की किसी प्रकार मदद नही करती है। अनुसंधानकर्ता द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण की साक्ष्य के अलावा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने के कोई आधार जाहिर नही किये गये है। प्रतिपरीक्षण में वह अभियुक्त द्वारा पूर्व तैयारी के साथ मारपीट करना जाहिर करता है जबकि प्रस्तुत तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 से ही अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की तैयारी के साथ मारपीट किये जाने की परिस्थितियां उजागर नही होती है। इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य से भी अभियुक्त द्वारा घटना कारित किये जाने के संदेह से परे कोई आधार जाहिर नही किये गये है। उक्त परिस्थितियों में चिकित्सकीय अधिकारी प्रद्युम्मन मालव पीडब्लू 3 तथा मानसिंह पीडब्लू 6 औपचारिक गवाह मात्र रह जाते है।

17— इसके अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य दस्तावेज अभियोजन पक्ष की कहानी को प्रमाणित करने में उन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं करते। इन सब के अलावा रिकॉर्ड पर ऐसी कोई अन्य साक्ष्य या सामग्री उपलब्ध नहीं है जो अभियोजन पक्ष की कहानी या पक्षकथन की

किसी प्रकार से पुष्टि करती हो।

18— अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण उपरांत प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध इस हद तक अपना मामला संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि **अभियुक्त ने दिनांक 25.05.2016 को समय करीब 2.00 पीएम पर स्थान स्टर्लिंग एंड विलसन कंपनी सी.टी.पी.पी. में अपराध करने की तैयारी कर अतिचार कर फरियादी रंजन कुमार को स्वेच्छा कुंदालय से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की एवं फरियादी को हाथ पैर तोडने की धमकी देते हुए इस आशय से गाली गलोच कर अपमानित किया कि वह प्रकोपित होकर लोक शांति भंग करे।** अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323,452,504,506 **भा.द.स. में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना** न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

19— अतः अभियुक्त **जंतु उर्फ जितेन्द्र पुत्र अजब सिंह निवासी चौकी थाना बापचा तहसील छबडा, जिला बारां राज.** को उसके विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323,452,504,506 **भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप में **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा पूर्व में इस न्यायालय में पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

20— अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि अभियुक्तगण अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 10—10 हजार रूपये के जमानत मुचलके न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक कराएंगे जो कि बाद कराने तस्दीक आगामी 06 माह की अवधि तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(संयोगिता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
क्रम— 01 छबडा जिला बारां राज.

21— आदेश आज दिनांक **24.03.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(संयोगिता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
क्रम— 01 छबडा जिला बारां राज.